04.03.2025

पत्रावली पेश हुई।
अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस अन्तिम अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा मौजपुरा के खसरा संख्या 25 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि मेरे पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की है। वादग्रस्त आराजी मेरे पिता मियाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी को गलत ढंग से चेतनाराम पुत्र रगानी के नाम बैयानामा निष्पादित करवा दिया जबकि हमारा बैयानामा पुश्तैनी भूमि को मेरे पिता को करवाने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि चेतनाराम नाम का कोई

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	आदेश पालना तारीख
	व्यक्ति ही नहीं है तथा ऐसे बेनामी व्यक्ति के नाम से विधि-विरुद्ध ढंग से बेचाननामा निष्पादित करवा कर आगे गुणेशाराम पुत्र नानजी भाई जाति - लोहाणा, निवासी - सांचौर के नाम से बेचान कर खातेदारी दर्ज करवा दी, जबकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है तथा जो पिता प्रेमाराम ने अपने अंश से ज्यादा भूमि का सेवनाराम के नाम बेचाननामा किया है वह शून्य प्रभावी है। पुराने खसरा संख्या-625 के नये नम्बर 2276 रकबा 1.31 हैक्टेयर [illegible] हुआ जिसकी यह भूमि एस.सी. मेघवाल जाति के लोगों के नाम ही थी, परन्तु उक्त [illegible] राम का नाम काटते हुए उसके स्थान पर गुणेश भाई पुत्र नानजी भाई का नाम दर्ज कर दिया तथा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है जो राजस्व रेकर्ड से साबित है ऐसी भूमि को खातेदार आगे बेचान नहीं कर सकता तथा गुणेशभाई को गलत ढंग से प्राप्त भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या [illegible] रकबा 1.91 हैक्टे. जो राजस्व रेकर्ड [illegible] के नाम से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी [illegible] की गुणेश भाई पुत्र नानजी भाई जाति - लोहाणा, निवासी - सांचौर के नाम की खातेदारी भूमि थी, राजस्व अधिकारियों एवं कार्मिकों	

सहायक कलेक्टर, सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 25/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	की गलती से प्रथम सेटलमेंट के दौरान दयाराम व रावताराम पिसरान भोजा के नाम दर्ज हो गई थी तथा उसके बाद उनके द्वारा उसके काकाई भाई सकनाराम पुत्र रगनी के नाम से कागजी बैयानामा निष्पादित करवाया। प्रार्थना-पत्र में अपने पिता मियाराम को पक्षकार नहीं बनाया है व न ही सकनाराम को पक्षकार के रूप में संयोजित किया है इस प्रकार आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना-पत्र कतई चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर वैध रजिस्टर्ड व पंजीयन अप्रार्थी संख्या-1 लगातार का है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में गलत तथ्य दर्शाकर प्रार्थना-पत्र पेश किया है ऐसी सूरत में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों कारक विरुद्ध प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आधारहीन, तर्कहीन व गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें।	
	हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई बहस [illegible] गया तथा पत्रावली [illegible] दस्तावेजात का नकल [illegible] अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी), सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 25/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मैं जारी
	स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में आराजी नगरपालिका सांचौर के नाम आबादी दर्ज है तथा नगरपालिका द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में गाड़िया लुहार [illegible] अनुसार आवासीय पट्टे निष्पादित किये गये तथा उक्त पट्टों की पूर्ति में ये काफी पुराने कब्जेधारी होने से ध्यान में रख दिये गये हैं तथा विक्रेताओं द्वारा अपना आवासीय मकान बनाकर अस्थाई निवास कर रहे हैं इस प्रकार रेकर्ड एवं आवासीय पट्टाधारी आवंटियों पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज / साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह माना जावे कि अनुसूचित वर्ग की भूमि [illegible] जाने के लोगों के नाम पंजीबद्ध करवाई थी इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतया आधारहीन तथा विचारणीय नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है।	
	आदेश :-	
	उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के निष्कर्षानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव तथा कानूनी प्रावधान [illegible] तथा पूर्णतया आधारहीन [illegible] खारिज किया जाता है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल दे एवं तरमीम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:14 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner